(1) निगरानी / टी.ए. / 1588 / 2006 / सवाईमाधोपुर
(2) निगरानी / टी.ए. / 1589 / 2006 / सवाईमाधोपुर
रामप्रसाद व अन्य बनाम रघुनाथ व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री ओ.एल.दवे, अभिभाषक प्रार्थी
अभि0 अप्रार्थी के ब्रीफ होल्डर श्री एल.एस.माथुर

दिनांक : 3.3.2021

निर्णय

उक्त दोनों निगरानियां राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा क्रमशः अपील संख्या 108 / 05 एवं 109 / 05 में पारित निर्णय दिनांक 20–2–2006 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई हैं। दोनों निगरानियों के तथ्य, पक्षकारान एवं विषय–वस्तु समान होने से इन दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी संख्या 1588 / 2006 के संबंध में बहस में कथन किया कि अप्रार्थी / वादीगण द्वारा एक वाद प्रार्थी / प्रतिवादीगण के विरूद्ध उप जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के यहां प्रस्तुत किया। वाद के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पिता किशनगोपाल को आराजी खसरा नंबर 506 में से 5 बीघा आवंटित किया जाकर कब्जा संभलाया दिया था। उसी दिन प्रतिवादी के पिता सांवल्या को भी खसरा नंबर 506 में से 5 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। दोनों पक्षकारों के पिता ने शामलाती में कुंआ खुदवाया किन्तु अब प्रतिवादी की नियत में फर्क आ जाने से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	शामलाती के कुंए से सिंचाई करने से रास्ता रोक कर वंचित करना चाहते हैं। अतः प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। निगरानी संख्या 1589 / 2006 के संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का बहस में कथन है कि प्रार्थी / वादीगण ने एक वाद उप जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के यहां प्रस्तुत किया। साथ में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता सांवल्या को आराजी खसरा नंबर 506 में से रकबा 5 बीघा आवंटित किया जाकर खसरा नंबर 506 / 1 भिन्न नम्बर डाला गया। इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता किशनगोपाल को भी इसी खसरा नंबर 506 में से 5 बीघा भूमि उसी दिन आवंटित की गई तथा दोनों को एक साथ कब्जा संभलाया गया। प्रार्थीगण की भूमि पश्चिम की ओर व अप्रार्थी के पिता किशनगोपाल की भूमि पूर्व की ओर की थी जिसमें प्रार्थीगण के पिता ने पुख्ता चाह खुदवाकर हजारों रूपए खर्च कर उपजाऊ बनाया है। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र प्रार्थीगण का इस आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु अप्रार्थीगण ने सेटलमेन्ट कर्मचारियों से मिलकर दौराने सेटलमेन्ट साबिक खसरा नंबर 506 / 1, जो प्रार्थीगण की भूमि है, के नये नंबर 763 रकबा 13 एयर, 764 रकबा 13 एयर, 86 रकबा 1 एयर, 769 रकबा 49 एयर, 770 रकबा 2 एयर, 833 रकबा 35 एयर बने तथा उनको नक्शा ट्रेस में एक जगह नहीं दर्शा कर अलग अलग जगह दर्शा दिये जिससे स्थिति यह हो गई कि जहां प्रार्थीगण का 1975 में आवंटन के समय कब्जा है, वहां तो सिवायचक से अप्रार्थी सं.1 व 2 की भूमि आ रही है, जहां सेटलमेन्ट के बाद प्रार्थीगण की खातेदारी के नम्बर बताये हैं, वहां प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। अब अप्रार्थीगण उक्त गलत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कार्यवाही के आधार पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 506 / 1 रकबा 5 बीघा पर कब्जा करना चाहते हैं। साथ ही प्रार्थीगण के खेत के अलावा खसरा नंबर 606 की शेष आराजी चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की बाधा व अवरोध उत्पन्न नहीं करे। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र संख्या 29 / 2004 तथा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र संख्या 51 / 03 को निर्णय दिनांक 1–7–2004 द्वारा एक साथ निर्णित करते हुए अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र संख्या 29 / 04 को खारिज कर दिया तथा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र संख्या 51 / 03 को स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने के आदेश पारित किये। उनका तर्क है कि अप्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 51 / 03 एवं 29 / 04 में पारित निर्णय दिनांक 1–7–2004 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के न्यायालय में दो पृथक–पृथक अपीलें पेश की। राजस्व अपील प्राधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए अपने निर्णय दिनांक 20–2–2006 द्वारा अप्रार्थीगण की अपीलों को स्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने उक्त निगरानियां पेश की हैं। उनका तर्क है कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सारी कार्यवाही भू प्रबंध विभाग के कर्मचारियों से मिलकर वास्तविक व राजस्व रिकार्ड	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के विरूद्ध की है क्योंकि जब प्रार्थीगण के पिता को सन् 1975 में आवंटन किया गया था, तो एक ही जगह 5 बीघा आराजी खसरा नंबर 506 / 1 आवंटित की जाकर मौके पर कब्जा संभलाया गया, जो कि खसरा नंबर 506 के पश्चिमी भाग में पडती थी, जबकि भू प्रबन्ध विभाग ने अब जो उक्त 506 / 1 के नये खसरा नंबर डाले हैं, वे एक ही जगह पश्चिमी भाग में नहीं होकर अलग–अलग जगह बताये गये हैं, जो कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस व नया नक्शा ट्रेस भू प्रबंध विभाग दोनों को एक साथ देखने से प्रथमदृष्ट्या ही उक्त विवादित स्थिति दिखायी पडती है। उनका यह भी तर्क है कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने अप्रार्थीगण की अपीलें मात्र इस आधार पर कि, खसरा नंबर 768 में जो कुंआ स्थित है इस बाबत प्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, स्वीकार करने में त्रुटि की है। जबकि खसरा नंबर 768 में पुख्ता चाह का निर्माण प्रार्थीगण के पिता द्वारा करवाया गया था। जमाबंदी में उक्त खसरा नंबर 768 गैर मुमकिन चाह प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, फिर भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त राजस्व रिकार्ड को नजरअंदाज कर आक्षेपित निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतः उक्त दोनों निगरानियां स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 108 / 2005 एवं 109 / 2005 में पारित निर्णय दिनांक 20–2–2006 को निरस्त किया जावे तथा उप जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 51 / 03 एवं 29 / 04 में पारित निर्णय दिनांक 1–7–2004 को बहाल रखा जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता किशन गोपाल को आराजी खसरा नंबर 506 में से 5 बीघा भूमि आवंटित की जाकर कब्जा संभलाया गया था और उसी दिन से अप्रार्थीगण के पिता का कब्जा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	काश्त चला आ रहा था व पिता के फोत होने पर अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उनका यह भी तर्क है कि दोनों पक्षकारों के पिता को एक ही दिन जमीन आवंटित होने के बाद दोनों ने शामलात में कुंआ खुदवाया, जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण शामिल में सिंचाई करते आ रहे थे किन्तु बाद में प्रार्थीगण की नियत में फर्क आ जाने एवं अप्रार्थीगण को शामलाती कुंए से सिंचाई करने से रोकने पर अप्रार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। किन्तु विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 1–7–2004 द्वारा अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र संख्या 29 / 04 को निरस्त कर दिया तथा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र संख्या 51 / 2003 को स्वीकार कर लिया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष दो अपीलें पेश की गईं जिन्हें अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 20–2–2006 द्वारा स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 1–7–2004 को निरस्त कर दिया, जो न्यायोचित है। अंत में उन्होंने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–2–2006 को पूर्णतया विधि सम्मत बताते हुए उक्त दोनों निगरानियां सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दोनों पक्षों के मध्य यह स्वीकृत तथ्य है कि कि प्रार्थीगण के पिता सांवल्या तथा अप्रार्थीगण के पिता किशनगोपाल को खसरा नंबर 506 में 5–5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया और बाद तरमीम खसरा नंबर 506 / 1 सांवल्या के नाम तथा खसरा नंबर 506 / 2 किशन गोपाल के नाम दर्ज किया गया। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नंबर 506 / 2 से खसरा नंबर 766 व 767 बनाकर अप्रार्थीगण के नाम तथा खसरा नंबर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	506 / 1 से खसरा नंबर 768 व 769 बनाकर प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये गये। पक्षकारान के मध्य मुख्य रूप से विवाद खसरा नंबर 768 में बने कुंए बाबत है। इस संबंध में अप्रार्थीगण का तर्क है कि खसरा नंबर 506 में अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता द्वारा शामलाती कुंए का निर्माण कराया गया था किन्तु भू प्रबन्ध के दौरान यह कुंआ खसरा नंबर 768 में प्रार्थीगण के नाम आ जाने से वे अप्रार्थीगण को कुंए से पानी नहीं लेने दे रहे हैं। इस संबंध में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी एवं मौखिक साक्ष्य का परीक्षण करने के उपरांत अपने निर्णय में यह अंकित किया कि–''पत्रावली में उपलब्ध नक्शा ट्रेस के अनुसार ख.नं. 766 व 767 के पश्चिम उत्तर हिस्से में ख.नं. 768 दर्ज है तथा ख.नं. 766, 767 की पश्चिमी मेड ख.नं. 768 से चिपटेंवा है और ख.नं. 768 में कुंआ बना हुआ है। नक्शा साबिक के अवलोकन से ही ज्ञात होता है कि पूर्व में आवंटित किया गया ख.नम्बर 506 एक बडा रकबा है जिसमें कि मौके पर किसी प्रकार की तरमीम नहीं हो रही है। अपीला0 द्वारा तर्क दिया है कि ख.नं. 506 में हमारे व रेस्पो.के पिता द्वारा शामिलाती कुॅए का निर्माण कराया था किन्तु यह कुॅआ ख.नं. 768 में भू प्रबन्ध में रेस्पो. के नाम आ जाने से वे हमें कुंए से पानी नहीं लेने दे रहे हैं, इस सम्बन्ध में हमारे द्वारा भू प्रबन्ध में बनाये साबिक से हाल नम्बरान को चेलेन्ज करते हुये दावा भी पेश कर रखा है। अपीला0 द्वारा अपने समर्थन में साक्ष्य पेश की है जो कि कुॅए को शामलाती होना व दोनों ही द्वारा इस पर पानी लेने की बात कहते हैं ये शपथ पत्र सोन्या पि0 छीतर, विलास पुत्र रामचन्द्रा, श्यामलाल पि0जानकीलाल, हरिकिशन पुत्र दयाचंद, बजरंगा पि0गोगल्या के हैं। रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में किसी की मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की है और न ही उक्त मौखिक साक्ष्य के काउंटर में कोई गवाह पेश किये हैं।'' इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं की गई है जिससे कि प्रथमदृष्ट्या खसरा नंबर 768 में बने कुंए का शामलाती ना होना प्रमाणित हो। इसके विपरीत अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से कुंए का शामलाती होना प्रथमदृष्ट्या प्रकट होता है। पक्षकारान के मध्य नियमित वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें उभय पक्ष की साक्ष्य के आधार पर ही प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण हो सकेगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रथमदृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में होना मानते हुए अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 1–7–2004 को निरस्त करने तथा मूल वाद के निस्तारण तक खसरा नंबर 768 में अप्रार्थीगण की भूमि की तरफ किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने तथा खसरा नंबर 768 में बने हुए कुंए से अप्रार्थीगण को पानी लेने में किसी प्रकार की मजाहमत न करने बाबत प्रार्थीगण को पाबंद करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। हम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से पूर्णतया सहमत हैं एवं उसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। अतः उक्त दोनों निगरानियां खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा उक्त दोनों प्रकरणों में पारित निर्णय दिनांक 20–2–2006 को यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	